

राज्यपाल की भूमिका और शक्ति

प्रलिस के लयः

राज्यपाल से संबंघतऱ संवैघानकऱ ढरावघान ।

मेन्स के लयः

राज्यपाल-राज्य संबंघों में टकराव के बढऱ, अनुच्छेद 356, ढरशासनकऱ सुघार आयोग (1968), राजमन्नार समतऱ (1971) और न्यायमूरतऱवी. चेलयऱ आयोग (2002) ।

चरचा में क्योँ?

राज्यपाल राज्य के संवैघानकऱ ढरमुख और केंद्र सरकार के ढरतनऱधऱ के रूप में 'दोहरी भूमकऱ' में कार्य करता है ।

- हाल के वर्षों में राज्यों और राज्यपालों के बीच टकराव देखा गया है जो काफी हद तक सरकार बनाने, ढरटी के चयन, बहुमत साबतऱ करने की समय-सीमा, वधऱयकों ढर बैठकों को आयोजतऱ करने और राज्य ढरशासन ढर नकारातमक टऱऱऱणी करने को लेकर रहा है ।

ढरमुख बढऱ

राज्यपाल से संबंघतऱ संवैघानकऱ ढरावघान:

- अनुच्छेद 153:** ढरत्येक राज्य के लयऱ एक राज्यपाल होगा । एक वयकतऱ को दो या दो से अधकऱ राज्यों का राज्यपाल नयऱकतऱ कयऱ जा सकता है ।
 - राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामतऱ वयकतऱ होता है, जसऱ ढरषट्रऱऱतऱ दऱवारा नयऱकतऱ कयऱ जाता है ।
- संवघान के मुताबकऱ, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमकऱ अदा करता है ।
 - वह राज्य के मंत्रऱऱरऱषऱद (CoM) की सलाह मानने को बाधयऱ राज्य का संवैघानकऱ ढरमुख होता है ।
 - वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महतऱत्वऱऱूरण कऱऱी के रूप में कार्य करता है ।
- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल ढद के लयऱ ढरतऱरता संबंघी आवश्यकताओं को नरऱदऱषऱट कयऱ गया है ।
- राज्यपाल को संवघान के अनुच्छेद 161 के तहत कषमादान और दंडवरऱम आदऱ की भी शकतऱ ढराऱतऱ है ।
- कुछ ववऱकाधऱन शकतऱयों के अतऱरऱकऱतऱ राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लयऱ मुख्ढमंत्रऱ की अध्ढकषता में एक मंत्रऱऱरऱषऱद का गठन कयऱ जाने का ढरावघान है । (अनुच्छेद 163)
- राज्य के मुख्ढमंत्रऱ और अन्य मंत्रऱऱरऱयों की नयऱकतऱ राज्यपाल दऱवारा की जाती है । (अनुच्छेद 164)
- राज्यपाल, राज्य की वधऱनसभा दऱवारा ढररतऱ वधऱयक को अनुमतऱ देता है, अनुमतऱ रोकता है अथवा ढरषट्रऱऱतऱ के वचऱर के लयऱ वधऱयक को सुरकषतऱ रखता है । (अनुच्छेद 200)**
- राज्यपाल कुछ वशऱषऱट ढरसऱथतऱतऱयों में अध्ढादेशों को ढरख्ढाऱऱतऱ कर सकता है । (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंघ

- राज्यपाल की ढरकऱलऱऱना एक गैर-राजनीतकऱ ढरमुख के रूप में की जाती है, जसऱ मंत्रऱऱरऱषऱद की सलाह ढर कार्य करना चाहयऱ । हालाँकऱ राज्यपाल को संवघान के तहत कुछ ववऱकाधऱन शकतऱयों ढराऱतऱ हैं । उदाहरण के लयऱ:
 - राज्य वधऱनमंडल दऱवारा ढररतऱ कसऱी वधऱयक को स्वीकृतऱ देना या रोकना,
 - कसऱी ढरटी को बहुमत साबतऱ करने के लयऱ आवश्यक समय का नरऱधरण, या
 - आमतौर ढर कसऱी चुनाव में त्रशऱंकु जनादेश के बाद बहुमत साबतऱ करने के लयऱ सबसे ढहले कसऱ ढरटी को बुलाया जाना चाहयऱ ।
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह ढरषट्रऱऱतऱ के ढरसादऱऱर्यंत ही ढद ढर बना रह सकता है ।
 - वर्ष 2001 में संवघान के कामकाज की समीकषा करने के लयऱ ढरषट्रऱऱय आयोग ने माना कऱ राज्यपाल की नयऱकतऱ और संघ के लयऱ उसकी नरऱतरता आवश्यक है ।

- ऐसी आशंका जाहरी की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।
- संवधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दशा-निर्देश नहीं हैं, जसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।
- राज्यपाल कतिने समय तक किसी विधायक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रपरिषद की सफारिशों का आधार बनाती है।

कनि सुधारों का सुझाव दिया गया है?

- **राज्यपाल की नियुक्ति और नषिकासन के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' (2010) ने सफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभयिग चलाने का प्रावधान संवधान में शामिल कया जाना चाहयि।
 - राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहयि।
- **अनुच्छेद-356 के संबंध में:**
 - 'पुंछी आयोग' ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सफारिश की थी।
 - 'सरकारया आयोग' (1988) ने सफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में कया जाना चाहयि जब संवधानिक तंत्र को बहाल करना अपरहिय हो गया हो।
 - इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समति (1971) और न्यायमूर्तकी. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सफारिशें की हैं।
- **अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में:**
 - **एस.आर. बोमई मामला (1994):** इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।
 - नरिणय के मुताबकि, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण कया जाना चाहयि, न कि राज्यपाल की व्यक्तपरिक राय के आधार पर।
- **वविकाधीन शक्तियों के संबंध में:**
 - नबाम रेबया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नरिणय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की वविकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमति है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहयि।

आगे की राह

- **संघवाद का सुदृढीकरण:** राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत कया जाना चाहयि।
- **राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार:** राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार कयि गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वही वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहयि, न कि केंद्र सरकार को।
- **राज्यपाल के लिये आचार संहति:** इस 'आचार संहति' में कुछ 'मानदंड और सदिधांत' निर्धारित कयि जाने चाहयि, जो राज्यपाल के 'वविक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस